—: कार्यालय कलेक्टर जिला — खंडवा (म0प्र0) :—

क्रमांक—क/ब्रिस्क/2019/13944

खंडवा, दिनांक 27/08/2019

घोष विक्रय (खुली नीलामी) हेतु विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हैं कि जिला कार्यालय खंडवा की निम्न निष्प्रयोजित **महिन्द्रा जीप MP-02-AV-0341** एवं टाटा सूमों **MP-02-5184** ''जहाॅ है जैसी हैं'' की बिक्री हेतु खुली नीलामी (घोष विक्रय) दिनांक **25-09-2019** को अपरान्ह **3-00** बजे कलेक्टर कार्यालय (परिसर) खंडवा में की जावेगी :—

स0क्र0	वाहन का पंजीयन क्र0	मेकर का नाम	निर्माण वर्ष	सरकारी बोली
1	**MP-02-5184** टाटा सूमों	मे0 टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लि0 मुम्बई	2000	**45000/-** (पैतालीस हजार)
2	**MP-02-AV-0341** महिन्द्रा जीप	मे0 महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लि0 मुम्बई	2003	**55000/-** (पचपन हजार)

—: शर्ते :—

(1) वाहन जहाॅ जिस हालत में रखा/खडा हैं उसी हालत में नीलाम किया जावेगा ।

(2) वाहन का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय खंडवा में कार्यालयीन समय में कर सकते हैं ।

(3) नीलामी में बोली लगाने के पूर्व वाहन हेतु रूपये 10,000/— (दस हजार) की धरोहर राशि का **DD** कलेक्टर,खण्डवा के नाम से देय हो, नीलामी के एक दिन पूर्व अर्थात दिनांक **24-09-2019** को अपरान्ह **3-00** बजे तक जिला नाजीर कलेक्टोरेट खंडवा के पास जमा कराना अनिवार्य होगी ।

(4) नीलामी कार्यवाहीं के दौरान उच्चतम बोली जिस पक्षकार की प्राप्त होगी, उसको नीलामी मूल्य की 25% राशि तत्काल जमा कराना होगी, अगर कोई इसका पालन नहीं करता हैं तो उसकी जमा धरोहर राशि संबंधित विभाग के पक्ष में राजसात हो जावेगी, तथा उसकी नीलामी निरस्त मान्य की जावेगी ।

(5) अंतिम बोली की पुष्टीकरण की सूचना के तीन दिवस के भीतर सफल बोलीदार को अतिशेष राशि जमा करना अनिवार्य होगी । यदि निर्धारित समय सीमा में अतिशेष राशि जमा कराने में असफल रहता हैं तो उसके द्वारा जमा कराई गई 25% राशि तथा अमानत राशि संबंधित विभाग के पक्ष में राजसात की जायेगी तथा नीलामी निरस्त समझी जावेगी, एवं पुनः नीलामी में वाहन की कीमत कम आती हैं तो पक्षकार से ऐसी हानि/खर्च वसूली योग्य होगा ।

(7) नीलामी में भाग लेने हेतु केवल वही व्यक्ति अधिकृत होगा, जिसके द्वारा आवश्यक धरोहर की राशि का **DD** नीलामी के एक दिन पूर्व अर्थात दिनांक **24-09-2019** -को अपरान्ह **3-00** बजे तक जिला नाजीर कलेक्टोरेट खंडवा के पास जमा कराई होगी, अन्य किसी व्यक्ति को बोली बोलने का अधिकार नहीं होगा। सभी नीलामी में भाग लेने वाले अधिकृत व्यक्तियों को निर्धारित नीलामी दिनांक एंव समय पर उपस्थित होना आवश्यक हैं, किसी भी प्रकार का विलम्ब मान्य नहीं किया जावेगा ।

(8) किसी भी बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अंतिम निर्णय कलेक्टर खंडवा का होगा, जो सर्वमान्य होगा, जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकेगी ।

(9) किसी भी प्रकार के विवाद में कलेक्टर खंडवा का निर्णय अंतिम होगा जो सर्वमान्य होगा ।

(10) उच्चतम दो बोली लगाने वालो **(पृथक—पृथक वाहन)** को छोडकर अन्य बोली लगाने वालों की धरोहर राशि उसी दिन वापस कर दी जावेगी ।

(11) वाहन अंतिम रूप से निराकरण होने के पश्चात पक्षकार स्वयं के व्यय पर वाहन उठायेगा तथा परिवहन विभाग के नियमों के अधीन **सात दिवस** में अपने पक्ष में पंजीयन करायेगा, एंव जिसकी सूचना इस कार्यालय को अनिवार्यतः देगा इस पर होने वाला व्यय स्वंय वहन करेगा, शासन द्वारा कोई व्यय वहन नहीं किया जावेगा ।

(12) सफल बोलीदार को वाहन प्राप्ति के समय अपना पहचान पत्र (Adress Proof) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

(तन्वी सुन्द्रियाल)
कलेक्टर,
जिला खण्डवा म0प्र0
दूरभाष क्र.0733—2224153

पृ0क्रं0–क / ब्रिस्क / 2019 / 13445
प्रतिलिपि :–

खंडवा दिनांक 27 / 08 / 2019

1/ आयुक्त, इंदौर संभाग इंदौर ।
2/ समस्त कलेक्टर ————————————म0प्र0 ।
3/ पुलिस अधीक्षक, खंडवा ।
4/ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी भोपाल ।
5/ अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी खंडवा ।
की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6/ अनुविभागीय अधिकारी खंडवा / हरसूद / पंधाना / पुनासा ।
7/ तहसीलदार खंडवा / हरसूद / पंधाना / पुनासा / खालवा ।
8/ आयुक्त नगर पालिक निगम खंडवा ।
9/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत हरसूद / पंधाना / मूंदी / ओंकारेवर ।
10/ सहायक संचालक, जनसम्पर्क खंडवा को विस्तृत प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित ।
11/ प्रभारी अधिकारी नाजरात शाखा कलेक्टोरेट खंडवा ।
की ओर प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त निविदा कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा करें ।

कलेक्टर
जिला –खंडवा (म0प्र0)